Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
Fisheries Division

Subject: Uploading of the Notification regarding Guidelines for Seed Production and Culture of Specific Pathogen Free (SPF) *Penaeus monodon* under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 on the Department's website-- regarding.

A printed copy of the Notification No. G.S.R. 695 (E) dated 14th September, 2012 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II-Section 3-Sub-section (i) dated 17th September, 2012 regarding Guidelines for Seed Production and Culture of Specific Pathogen Free (SPF) *Penaeus monodon* as Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2012 under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 is enclosed.

NIC is requested to upload the abovementioned Notification to the Guidelines Link to the Department's website. It is also suggested that all the guidelines related to Fisheries available in the Guidelines link may be placed together on a fisheries page of the same link.

Encl.: As above

(I. A. Siddiqui)
Fisheries Research & Investigation Officer
5th October, 2012

NIC, DADF
Room No. 436,
Krishi Bhawan,
New Delhi.

Speed Post

No.35029/4/2012-Fy(Trade)
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries

Krishi Bhawan, New Delhi,
Dated the 4th October, 2012.

To

Member Secretary,
Coastal Aquaculture Authority,
Shastri Bhawan Annexe,
26, Haddow's Road,
Chennai – 600 006.

Subject: Notification regarding Guidelines for Seed Production and Culture of Specific Pathogen Free (SPF) *Penaeus monodon* under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005- regarding.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 63-1/2012-Tech. dated 26th March, 2012 on the abovementioned subject and to enclose herewith 10 (ten) copies of the Notification No. G.S.R. 695 (E) dated 14th September, 2012 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II-Section 3-Sub-section (i) dated 17th September, 2012 regarding Guidelines for Seed Production and Culture of Specific Pathogen Free (SPF) *Penaeus monodon* as Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2012 under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 for you information and necessary action.

Encl.: As above

Yours faithfully,

(I. A. Siddiqui)
Fisheries Research & Investigation Officer
Tel. 23097049
Int. 4481

Copy to:

1. Director, NIC, Dept. of Animal Husbandry Dairying & Fisheries with a request to upload the enclosed notification on the Department's website.
2. CAA Desk, Fisheries Division, Dept. of Animal Husbandry Dairying & Fisheries for information.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 17, 2012/भाद्र 26, 1934
No. 462] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 17, 2012/BHADRA 26, 1934

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 695(अ).—तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 के उप-खंड (2) के साथ पठित खंड (क) के साथ धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

1. (1) इन नियमों को तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2012 कहा जाए ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में अनुबंध-2 के बाद, निम्नलिखित अनुबध को अंत में जोड़ा जाए, नामत: :—

"अनुबंध-3

विशिष्ट पैथोजेन मुक्त (एसपीएफ) पीनियस मोनोडान बीज उत्पादन और पालन के लिए दिशानिर्देश

क. ब्रूडस्टाक पालन/न्यूक्लीयर प्रजनन सुविधा की विशिष्ट पैथोजन मुक्त स्थिति

(1) ब्रूड स्टाक पालन सुविधा या न्यूक्लियस प्रजनन केन्द्र (एनबीसी) में रखे गए झींगों के रोग की स्थिति नकारात्मक की पुष्टि होनी चाहिए, जिसे कम से कम विगत दो वर्षों के लिए निगरानी कार्यक्रम की गई हो ।

(2) विशिष्ट पैथोजेन मुक्त (एसपीएफ) का अर्थ है कि सुविधाएं, प्रचालन और जन्तु विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध पैथोजन {ओआईई (पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन) द्वारा सूचीबद्ध वायरस और नेक्रोटाईजिंग हेप्राटोपेंक्रियाटाइटिस बैक्टिरियम (एनएचपीबी) से मुक्त हैं; और विशष्टि पैथोजन मुक्त स्टाक उत्पादन सुविधा सरकार द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा विशिष्ट पैथोजेन मुक्त स्थिति के लिए भी प्रमाणित किया गया हो।

ख. संगरोध

(1) हैचरियों द्वारा आयातित किए गए ब्रूडस्टॉक में पालन करने के उद्देश्य से पोस्ट लार्वा (पीएल) सहित सभी ब्रूडस्ट्रॉक का संगरोध होना है। यह अपेक्षाएं देश मे लाए जा रहे सभी स्टाक पर लागू है, चाहे वे भारतीय क्षेत्र के द्वीपसमूहों से मुख्य भूमि में लाए जा रहे हों।

(2) पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का अधिनियम 9) जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत, दिनांक 15 अक्तूबर, 2008 की एस.ओ.2482(ई) के तहत अधिसूचित विशिष्ट पैथोजेन मुक्त एल.वेन्नमई के आयात के लिए निर्धारित सभी संगरोध दिशानिर्देश जिसमें जैव सुरक्षा अपेक्षाएं, सीमा-पूर्व संगरोध अपेक्षाएं, संगरोध अपेक्षाएं, संक्रमणमुक्त प्रक्रिया आदि शामिल हैं, समय-समय पर किए संशोधनों सहित विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी.मोनोडान के मामले में भी लागू होंगे।

ग. आयात परमिट एवं पत्तन प्रवेश

(1) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गठित तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), (केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए), चेन्नई, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड(एनएफडीबी), हैदराबाद, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पेडा), कोची और अखिल भारतीय झींगा हैचरी संघ के परामर्श से) आयात किए जा रहे विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी.मोनोडान ब्रूडस्टाक की वार्षिक आवश्यकताओं पर निर्णय लेगा और पात्र हैचरियों को इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्रदान करेगा।

(2) तटीय जलकृषि प्राधिकरण(सीएए), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड(एनएफडीबी), हैदराबाद, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग और केन्द्रीय खारा जल जलकृषि

संस्थान (सीआईबीए) से प्रतिनिधियों द्वारा गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति, सुविधाओं के एसपीएफ प्रमाणीकरण, आनुवंशिक आधार और रोग मुक्त स्थिति आदि के आधार पर एसपीएफ पी.मोनोडान आपूर्तिकर्ताओं की लघुसूची तैयार करेंगे और मात्र ऐसी आपूर्तिकर्ताओं से ही एसपीएफ पी.मोनोडान के आयात की अनुमति दी जाएगी।

(3) पी.मोनोडान के विशिष्ट पैथोजेन मुक्त ब्रूडस्टाक के आयात के लिए निर्धारित पत्तन चेन्नई है।

(4) स्वदेशी विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी.मोनोडान ब्रडस्टाक के आपूर्तिकर्ताओं को भी तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा सुविधाओं और कार्यक्रम के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा।

घ. एसपीएफ पी.मोनोडान के लिए हैचरियों के प्रचालन के लिए सुरक्षा मानक और विनियम

1. विशिष्ट पैथोजेन मुक्त (एसपीएफ) पी.मोनोडान के प्रजनन हेतु आवेदन के लिए मापदण्ड

(1) झींगा बीज के उत्पादन में लगी अथवा इसके उत्पादन की इच्छुक हैचरियों जिनमें तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आवश्यक जैव सुरक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के पास विधिवत पंजीकरण एवं विशिष्ट पैथोजन मुक्त पी.मोनोडान ब्रूडस्टाक आयात करने या इसे स्वदेशी विशिष्ट पैथोजन मुक्त पी.मोनोडान स्रोत से प्राप्त करने और विशिष्ट पैथोजन मुक्त पी.मोनोडान के पोस्ट लार्वा का उत्पादन करने और उनकी बिक्री करने की अनुमति हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।

(2) विशिष्ट पैथोजन मुक्त पी.मोनोडान के पालन के लिए हैचरियों का अनुमोदन तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा गठित टीम द्वारा हैचरी सुविधाओं के विधिवत निरीक्षण के पश्चात प्राधिकरण द्वारा दिया जाएगा।

(3) हैचरी सुविधाएं पूरी तरह से जैव सुरक्षा के अनुकूल होगी – विभिन्न प्रकार की उत्पादन सुविधाओं का वास्तविक पृथकीकरण/अलगाव किया जाए जो कि इसके लिए एक अच्छी हैचरी डिजाईन का गुण है। बिना वास्तविक अलगाव के मौजूदा हैचरियों में,

प्रभावकारी अलगाव को बैरियर के निर्माण तथा प्रक्रिया के क्रियान्वयन एवं उत्पाद फ्लो नियंत्रण के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है।

(4) पशुओं तथा अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए हैचरी सुविधाओं को चारों ओर पर्याप्त ऊंचाई वाली दीवार अथवा बाढ़ से घेरना चाहिए। इससे इस रूट द्वारा पैथोजन के प्रवेश के जोखिम को कम करने मे सहायता मिलने के साथ-साथ पूरी तरह से सुरक्षा बेहतर हो सकेगी।

2. स्वच्छता अपेक्षाएं:

(1) हैचरी में प्रवेश को केवल उन्हीं कार्मिकों तक सीमित रखा जाए जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं और सुरक्षा कार्मिक द्वारा इस क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रवेश के संबंध में रिकार्ड रखना चाहिए।

(2) हैचरी स्टाफ को शावर अथवा ड्रेसिंग रूप के जरिए प्रवेश करना चाहिए, जहां वे अपने रास्ते वाले कपड़े उतारकर प्रवेश से पहले नहाएंगे फिर दूसरे ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर वे काम करने वाले कपड़े और जूते पहनेंगे। काम करने की शिफ्ट के बाद इस कार्य को उल्टे क्रम में किया जाएगा।

(3) यहां पर वाहन के टायरों (गेट के पास टायर बाथ) पैरों (>50 पीपीएम सक्रिय अवयव वाले हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से युक्त फुट बाथ), और हाथों {(आयोडीन, युक्त पालीविनाएलपाइरोलीडान – (पीवीपी) (20 पीपीएम तथा/अथवा 70 प्रतिशत अल्कोहल)} बोतलें को संक्रमण मुक्त करने के लिए मुहैया कराई जानी चाहिए जिसका उपयोग यूनिट में प्रवेश एवं निकास के समय किया जाएगा।

3. जल ग्रहण

(1) हैचरी की प्रत्येक कार्यरत यूनिट के पास अपनी जल उपचार सुविधा होनी चाहिए और इसे अन्य जल आपूर्ति प्रणाली से अलग होना चाहिए। जल के उपयोग को कम करने तथा जैव सुरक्षा हेतु, विशेषकर उच्च जोखिम के क्षेत्रों मे हैचरी की प्रत्येक कार्यरत यूनिट के उपयोग के लिए अलग पुन: परिचालन प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए।

(2) स्रोत जल में मौजूद वैक्टर तथा पैथोजन के प्रवेश को रोकने के लिए हैचरी में जल को छानकर लिया जाएगा और उसका उपचार किया जाएगा। इसे शुरूयआत में अर्द्ध रेत वाले कुएं, रेत फिल्टर (ग्रेवेटी अथवा दबाव), या मैश बैग फिल्टरों द्वारा छानकर पहले जलाशय अथवा सैटलिंग टैंक मे डालकर प्राप्त किया जा सकता है। क्लोरिनेशन द्वारा प्राथमिक विसंक्रमित करने और ठहराव के बाद, पानी को बारीक फिल्टर से दोबारा साफ किया जाना चाहिए और उसके बाद अल्ट्रावायल्ट प्रकाश (यूवी) या ओजोन या दोनों का प्रयोग करके विसंक्रमित किया जाए।

(3) जल आपूर्ति प्रणाली में सक्रिय कार्बन फिल्टरों, ऐथेलिन डायामीन ट्रेटा एसिटिक एसिड (ईडीटीए) तथा तापमान एवं खारापन नियमन के उपयोग को शामिल किया जा सकता है।

4. जल उपचार तथा अपशिष्ट जल की निकासी

(1) हैचरी से निकले हुए पानी को अस्थायी तौर पर रोका जाए और उसको हाइपोक्लोराट सोल्यूशन (>20 पीपीएम सक्रिय क्लोरीन कम से कम 60 मिनट से कम नहीं) अथवा अन्य प्रभावी विसंक्रमक से उपचारित किया जाए। यह विशेष रूप से वहां महत्वपूर्ण होगा जहां पर पानी उसी स्थान पर छोड़ा जाता है जहां से उसे निकाला जाता है।

(2) सुविधा में प्रयोग होने वाले समुद्री जल को भंडारण टैंक में अवश्य भेजा जाना चाहिए जहां पर इसका हाइपोक्लोराट सोल्यूशन (20 पीपीएम सक्रिय अवयव को 30 मिनट से कम नहीं) के साथ उपचार किया जाएगा। इसके बाद इसका उपचार सोडियम थायोसल्फेट (अपशिष्ट क्लोरीन के प्रत्येक पीपीएम के लिए 1 पीपीएम) तथा प्रबल एयरेशन के साथ किया जाएगा।

(3) अपशिष्ट जल बिना क्लोरीनेशन तथा डिक्लोरीनेशन के हैचरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। अपशिष्ट उपचार प्रणाली (ईटीएस) का डिजाइन इस प्रावधान को शामिल करते हुए तैयार किया जाना चाहिए।

3508 GI/12-2

5. उपकरणों को विसंक्रमित करना

(1) प्रयुक्त बर्तनों तथा होजों को आगे प्रयोग से पहले साफ किया जाना चाहिए तथा उन्हे हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन (20 पीपीएम) से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।

(2) ब्रूडस्टाक रखने वाले प्रत्येक टैंक के लिए उपकरणों का एक अलग सैट होना चाहिए जिस पर स्पष्ट रूप से निशान लगाया जाना चाहिए तथा उसे टैंक के नजदीक रखना चाहिए। प्रत्येक दिन के अंत में सभी उपकरणों का विसंक्रमित करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

6. हैचरी में ब्रूडस्टाक

(1) केवल संगरोध के जरिए अनुमोदित विशिष्ट पैथोजन मुक्त ब्रूडस्टाक को ही हैचरी में बीज उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

(2) विशिष्ट पैथोजन मुक्त के रूप में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित के अलावा अन्य ब्रूडस्टाक का प्रयोग पर सख्त प्रतिबंध है।

(3) विशिष्ट पैथोजन मुक्त पी. मोनोडान बीज उत्पादन में लगी हैचरियों के हैचरी परिसर को अन्य गैर – एसपीएफ प्रजातियों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

7. बीज उत्पादन तथा उसकी बिक्री

(1) नौपली अन्य हैचरियों को तभी बेचे जाने चाहिए जबकि इसके लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जाती है। केवल परीक्षित एवं प्रमाणीकृत पोस्ट लार्वा को बेचा जाना चाहिए।

(2) विशिष्ट पैथोजन मुक्त पी. मोनोडान के पोस्ट लार्वा को उत्पादन से बिक्री तक उपयुक्त जैव सुरक्षा हेतु, सुरक्षा मानकों वाली एसपीएफ सुविधाओं के अंतर्गत रखा जाना चाहिए।

(3) पोस्ट लार्वा को सिर्फ उन्हीं किसानों को बेचा जाना चाहिए जो पी. मोनाडान पालन के लिए विशेष तौर से तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हैं, क्योंकि विशिष्ट पैथोजेन मुक्त स्थिति को फार्म स्तर पर आवश्यक जैव-सुरक्षा उपायों के बगैर बनाए नहीं रखा जा सकता। हैचरी प्रचालकों द्वारा विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान पालन के लिए तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति निरीक्षण के लिए साथ रखी जानी चाहिए।

(4) बीज उत्पादन के विस्तृत ब्यौरे के साथ-साथ खरीददार या किसान के नाम और पते सहित बिक्री के भी ब्यौरे का रख-रखाव किया जाना चाहिए।

8. रोग रिपोर्टिंग और रिकार्ड का रखरखाव

(1) हैचरी में किसी प्रकार के रोग के प्रकोप की सूचना तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।

(2) हैचरियों को विशिष्ट पैथोजेन मुक्त आयातित ब्रूडस्टॉक या स्वदेशी अधिप्रमाणित ब्रूडस्टॉक का रिकार्ड स्रोत के ब्यौरे, आयातित अथवा स्वदेशी खरीद मात्रा, मृत्यु की संख्या, उत्पादित अंडे, उत्पादित नौपली, उत्पादित पोस्ट लार्वा, बेचे गए पोस्ट लार्वा, किसान का नाम और पता जिसे बेचा गया, रजिस्ट्रेशन संख्या और तारीख और तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमति प्रमाणपत्र के रिकार्ड का रखरखाव किया जाना चाहिए और इन सभी से जुड़ी जानकारी को प्रपत्र-VI में दिए गए प्रपत्र के अनुसार तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने वाली तिमाही अनुसरण रिपोर्ट में दर्शाया जाना चाहिए।

9. निरीक्षण

तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कार्मिक ब्रूडस्टॉक, बीज उत्पादन और बिक्री की स्थिति की जांच करने के लिए समय-समय पर दौरा करेगा।

10. अप्राधिकृत हैचरियों या फार्मों में स्टॉक को नष्ट करना

तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के निरीक्षण दल द्वारा हेचरियों या फार्मों के निरीक्षण के दौरान यदि कोई अप्राधिकृत बीज उत्पादन, विशिष्ट पैथोजेन मुक्त बीज की बिक्री या विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडोन का पालन होता हुआ पाया जाता है, तो निरीक्षण

दल द्वारा ऐसे स्टॉक को किसी विधि प्रकार से/जो उपयुक्त समझा जाए द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा।

11. बैंक गारंटी

अनुमादित हेचरियां स्वयं द्वारा इन दिशा-निदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 5.00 लाख रुपए (पांच लाख रुपए) की बैंक गारंटी तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के पक्ष में जमा करेगी और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में बैंक गारंटी का उपयोग किया जाएगा।

ड. फार्मों के अनुमोदन और प्रचालन के लिए मानक और विनियम

1. विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान पालन के लिए फार्मों के लिए पात्रता मानदण्ड

(1) तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के साथ पंजीकृत जलकृषि किसानों को विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान पालन के लिए अनुमति के लिए अलग आवेदन देने की आवश्यकता होगी।

(2) तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट पैथोजेन मुक्त एल.वेन्नमई पालन के लिए प्राधिकृत निरीक्षण टीम में विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान पालन के इच्छुक फार्म का निरीक्षण करेगी और विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान के पालन के लिए सुविधा की उपयुक्तता के संबंध में इसकी सिफारिश के आधार पर सदस्य सचिव द्वारा आवेदन पर कार्रवाई की जाए और विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान पालन के लिए अनुमति के लिए उन्हें तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान का पालन करने वाले फार्मों को बाढ़, जलाशय, डरावा, प्रत्येक तालाब के लिए अलग उपकरण सहित पर्याप्त जैव सुरक्षा उपाय अवश्य स्थापित करना चाहिए। फार्मों को जैव सुरक्षा उपायों के प्रबंधन में प्रशिक्षित और अनुभवी कार्मिकों द्वारा व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

(4) किसी भी आकार के फार्म में अपशिष्ट उपचार प्रणाली (ईटीएस) शामिल होनी चाहिए। चूंकि हार्वेस्टिंग के समय निलम्बित ठोस उपशिष्टों का बोझ पर्यावरण पर

सर्वाधिक होता है, अतः अपशिष्ट उपचार प्रणाली का हार्वेस्टिंग (फसल प्राप्ति) के दौरान छोड़े गए पानी को सम्भालने के लिए सक्षम होनी चाहिए। अपशिष्ट उपचार प्रणाली के आकार के अनुसार हार्वेस्टिंग (फसल प्राप्ति) चरणबद्ध होनी चाहिए। अपशिष्ट जल की गुणवत्ता तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए।

2. जल निकासी प्रोटोकॉल

(1) रोग की घटना होने के मामले में, फसल बचाने के लिए मात्र जाल के माध्यम से फसल प्राप्ति की अनुमति दी जाएगी और जलनिकासी में पानी छोड़ने से पहले उसे क्लोरीनयुक्त और क्लोरीनमुक्त किया जाए।

(2) अवशेष पानी को अपशिष्ट उपचार प्रणाली में कम से कम 2 दिनों तक रखा जाए।

(3) जिन फार्मों द्वारा शून्य जल विनिमय प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उन्हें पी. मोनोडान पालन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

3. जैव सुरक्षा संबंधी विचारणीय बिंदु

विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान पालन के लिए अनुमोदित फार्मों को उसी तालाब अथवा फार्म में पी. मोनोडान के साथ-साथ किसी अन्य गैर-एसपीएफ क्रस्टेशियन प्रजाति के पालन के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

4. विशिष्ट पैथोजेन मुक्त पी. मोनोडान के पालन के लिए मानक

(1) परीक्षित और प्रमाणित बीज मात्र उन हेचरियों से प्राप्त किए जाएं जो विशिष्ट पैथोजेन पी. मोनोडान मुक्त ब्रूडस्टाक के प्रजनन और बीज विक्रय के लिए प्राधिकृत हैं।

(2) स्टाकिंग घनत्व प्रति वर्ग मीटर 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) अपशिष्ट जल मानकों के लिए कड़ाई से अनुपालन करना एक अनिवार्य आवश्यकता है और प्रत्येक मामले में तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण टीम तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विनियमों के तहत

बनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी।

5. फार्मों में रिकार्ड का रख-रखाव

(1) किसानों द्वारा हैचरियों के नाम और पते, जहां से उन्होंने बीज की खरीद की थी, खरीद की गई मात्रा, संख्या और हैचरियों के मान्य पंजीकरण की संख्या व तारीख अदि का विस्तृत रिकार्ड रखा जाए।

(2) किसान द्वारा उत्पादित एवं बिक्री की गई झींगों की मात्रा, और उस प्रसंस्करणकर्ता का नाम और पता जिसको बिक्री किया गया, का रिकार्ड रखा जाए और फार्म-VII में दी गई प्रपत्र के अनुसार तिमाही अनुपालन रिपोर्ट के जरिए तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को इसकी सूचना दी जाए।

फार्म VI

[कृपया दिशा-निर्देश देखें {अनुबंध-III, पैरा घ 8(2)}]

हैचरियों के लिए तिमाही अनुपालन रिपोर्ट का प्रपत्र

रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए:

1. नाम तथा पता
2. पंजीकरण तथा आयात अनुमति प्रमाणपत्र की तरीख एवं संख्या
3. आयातित ब्रूडस्टॉक की संख्या, नर एवं मादा
4. परिवहन के दौरान मृत्यु
5. संगरोध के दौरान मृत्यु
6. अंडजनन की कुल संख्या
7. उत्पादित अंडों की कुल संख्या
8. उत्पादित नौपाली की कुल संख्या
9. उत्पादित पोस्ट लार्वा (पीएल) की कुल संख्या
10. सामान्य जलीय स्वास्थ्य निगरानी तथा किसी भी प्रकार की असामान्य मृत्यु की रिपोर्ट
11. किसानों को बेचे गए पोस्ट लार्वा (पीएल) की कुल संख्या

12. उन किसानों का ब्यौरा जिनको बेचे गए (इनमें नाम, पता, तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पी. मोनोडान पालन के लिए अनुमति पत्र की पंजीकरण संख्या तथा उसकी प्रति।

स्थान: हस्ताक्षर

तारीख: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का

नाम

फार्म VII

[कृपया दिशा-निर्देश देखें {अनुबंध-III, पैरा ई 5(2)}]

फार्मों के लिए तिमाही अनुपालन रिपोर्ट

रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए:

1. नाम तथा पता
2. तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख और संख्या
3. पी. मोनोडान पालन के लिए सीएए से प्राप्त अनुमति पत्र की तारीख और संख्या
4. खरीद की गई पोस्टलार्वा की संख्या
5. हैचरी का नाम और पता
6. हैचरी के पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख
7. हैचरी से पत्र जिसमें पालकों को बेचे गए पीएल की संख्या का उल्लेख किया गया हो
8. कुल स्टॉक की संख्या
9. कुल फसल का वजन
10. फसल के समय औसत आकार
11. पालन किए गए दिनों की संख्या
12. (अपशिष्ट उपचार प्रणाली आकार के अनुसार) की गई चरणबद्ध उगाही कटाई का विवरण ।
13. तारीख जब निरीक्षण समिति द्वारा दौरा कर नमूना एकत्र किया गया था ।

हस्ताक्षर

स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का

तारीख :

नाम :

[फा. सं. 35029/4/2012-मा (ट्रेड)]

तरुण श्रीधर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2012

G.S.R. 695(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 read with clause (a) of sub-section (2) of section 24 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005, after Annexure-II, the following Annexure shall be added at the end, namely:-

"Annexure-III

Guidelines for Seed Production and Culture of Specific Pathogen Free (SPF) *Penaeus monodon*

A. SPECIFIC PATHOGEN FREE STATUS OF BROOD STOCK REARING/NUCLEAR BREEDING FACILITY

(1) Shrimp that are maintained in the brood stock rearing facility or Nucleus Breeding Centre (NBC) should have a history of negative disease status documented through a surveillance programme, at least for the past two years.

(2) Specific Pathogen Free (SPF) implies that the facilities, operation and animals are free of the specifically listed pathogens {OIE (World Organisation for Animal Health) listed viruses and necrotizing hepatopancreatitis bacterium (NHPB)}; and the facility producing the Specific Pathogen Free stock should also have been certified for the Specific Pathogen Free status by the designated agency of Government.

B. QUARANTINE

(1) All the brood stock including post larvae (PL) meant for rearing into brood stock imported by hatcheries should undergo quarantine. This requirement is applicable to every stock brought into the country even if they are brought from the islands of Indian territory to the mainland.

(2) All the quarantine guidelines including biosecurity requirements, pre-border quarantine requirements, quarantine requirements, disinfection methods, etc. as provided for import of Specific Pathogen Free *L. vannamei* and as notified vide S.O. 2482 (E) dated 15th October, 2008 under the relevant provisions of Livestock Importation Act, 1898 (Act 9 of 1898) as amended from time to time shall be applicable in case of Specific Pathogen Free *P. monodon* too.

C. IMPORT PERMIT AND PORT OF ENTRY

(1) The Coastal Aquaculture Authority (CAA) set up under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 shall, (in consultation with Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA), Chennai, National Fisheries Development Board (NFDB), Hyderabad, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (DAHD&F), Ministry of Agriculture, Government of India, Marine Products Export Development Authority (MPEDA), Kochi and All India Shrimp Hatcheries Association), decide the annual requirement of Specific Pathogen Free *P. monodon* brood stock if imported and shall grant permission for this purpose to the eligible hatcheries.

(2) The Technical Evaluation Committee consisting of representatives from Coastal Aquaculture Authority (CAA), National Fisheries Development Board (NFDB), Hyderabad, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (DAHD&F) and Central Institute of Brackishwater Aquaculture (CIBA) shall shortlist the SPF *P. monodon* suppliers based on the SPF certification, genetic base and disease free status, etc. of the facilities and import of SPF *P. monodon* shall be permitted only from such suppliers.

(3) The designated port of import of Specific Pathogen Free brood stock of *P. monodon* shall be Chennai.

(4) Suppliers of indigenously produced Specific Pathogen Free *P. monodon* brood stock shall also be approved by the Coastal Aquaculture Authority on the basis of the technical evaluation of the facilities and programme.

D. SAFEGUARDS AND REGULATIONS FOR OPERATION OF HATCHERIES FOR SPF *P. MONODON*

1. Criteria for application to breed Specific Pathogen Free (SPF) *P. monodon*

(1) Hatcheries engaged or intending to be engaged in shrimp seed production having the required biosecurity facilities as prescribed by Coastal Aquaculture Authority would be eligible to apply for registration with the Coastal Aquaculture Authority and for permission to import Specific Pathogen Free *P. monodon* brood stock or to acquire from

indigenous Specific Pathogen Free source and to produce and sell post larvae of Specific Pathogen Free *P. monodon.*

(2) Approval of the hatchery for rearing Specific Pathogen Free *P. monodon* will be given by Coastal Aquaculture Authority after due inspection of the hatchery facilities by a team constituted by Coastal Aquaculture Authority for this purpose.

(3) The hatchery facilities should have strict bio-security control through physical separation or isolation of the different production facilities which is a feature of good hatchery design. In existing hatcheries with no physical separation, effective isolation may also be achieved through the construction of barriers and implementation of process and product flow controls.

(4) The hatchery facility should have a wall or fence around the periphery of the premises, with adequate height to prevent the entry of animals and unauthorised persons. This will help to reduce the risk of pathogen introduction by this route, as well as improve overall security.

2. Sanitary requirement

(1) Entrance to the hatchery should be restricted to the personnel assigned to work exclusively in this area and a record of personnel entering the facility should be maintained by the security personnel.

(2) Hatchery staff should enter through a shower and dressing room, where they remove their street clothes and take a shower before entering another dressing room to put on working clothes and boots. At the end of the working shift, the sequence should be reversed.

(3) There should be means provided for disinfection of vehicle tyres (tyre baths at the gate), feet (footbaths containing hypochlorite solution at >50 ppm active ingredient), and hands {bottles containing iodine, Polyvinylpyrrolidone (PVP) (20 ppm and/or 70% alcohol)} to be used upon entering and exiting the unit.

3. Water intake

(1) Each functional unit of the hatchery should have independent water treatment facility and it should be isolated from all other water supply systems. Separate recirculation systems may be used for each functional unit of hatchery to reduce water usage and improve bio-security, especially in high-risk areas.

(2) Water for the hatchery should be filtered and treated to prevent the entry of vectors and pathogens that may be present in-the source water. This may be achieved by initial filtering through sub-sand well points, sand filters (gravity or pressure), or mesh bag filters into the first reservoir or settling tank. Following primary disinfection by chlorination, and after settlement, the water should be filtered again with a finer filter and then disinfected using ultraviolet (UV) light or ozone or both.

(3) The water supply system may include use of activated carbon filters, the addition of ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) and temperature and salinity regulation.

4. Water treatment and discharge of waste water.

(1) The discharged water from the hatchery, should be held temporarily and treated with hypochlorite solution (>20 ppm active chlorine for not less than 60 minutes) or other effective disinfectant prior to discharge. This is particularly crucial where the water is to be discharged to the same location as the abstraction point.

(2) The seawater to be used in the facility must be delivered into a storage tank where it will be treated with hypochlorite solution (20 ppm active ingredient for not less than 30 minutes) followed by sodium thiosulphate (1 ppm for every ppm of residual chlorine) and strong aeration.

(3) No waste water shall be released out of the hatchery without chlorination and dechlorination. Effluent Treatment System (ETS) should be designed to include this provision.

5. Disinfection of implements

(1) Used containers and hoses must be washed and disinfected with hypochlorite solution (20 ppm) before further use.

(2) Each brood stock holding tank should have a separate set of implements which must be clearly marked and placed near the tanks. Facilities for disinfection of all the implements at the end of each day's use should be available.

6. Brood stock in hatchery

(1) Only Specific Pathogen Free brood stock cleared through the quarantine should be used in the hatchery tor seed production.

(2) Use of brood stock other than those certified as Specific Pathogen Free by the designated authority is strictly prohibited.

(3) Hatcheries involved in Specific Pathogen Free *P. monodon* seed production should not use any other non-SPF species within the hatchery premises.

7. Seed Production and sale

(1) Nauplii can be sold to other hatcheries only when permitted by the Coastal Aquaculture Authority. Only tested and certified post larvae should be sold.

(2) Post larvae of Specific Pathogen Free *P. monodon* right from production to sale should be maintained at the SPF facility with proper biosecurity safeguards.

(3) Post larvae should be sold only to the farmers who have registered with the Coastal Aquaculture Authority specifically for the culture of *P. monodon* since Specific Pathogen Free status cannot be retained at the farm level without the required biosecurity measures. A copy of the Certificate of Registration issued by the Costal Aquaculture Authority for culturing Specific Pathogen Free *P. monodon* should be retained by the hatchery operator for inspection.

(4) Detailed record of the seed production as well as sale including the name and address of the buyer or farmer should be maintained.

8. Disease reporting and record maintenance

(1) Any disease outbreak in the hatchery should be reported immediately to the Coastal Aquaculture Authority.

(2) The hatcheries should maintain a record of the imported brood stock or indigenously certified brood stock of Specific Pathogen Free status with details of source, quantity imported or procured from indigenous sources, the number of mortality, eggs produced, naupli produced, post-larvae produced, post-larvae sold, name and address of the farmer to whom sold, date and number of the registration and permission certificate issued by the Coastal Aquaculture Authority and should report these in their quarterly compliance reports to be submitted to Coastal Aquaculture Authority as per the format given in Form-VI.

9. Inspection

Coastal Aquaculture Authority authorised personnel shall visit periodically to check the status of the brood stock, the seed production and sale.

10. Destruction of stock at unauthorised hatcheries or farms

During the inspection of hatcheries or farms by the inspection team of Coastal Aquaculture Authority, if any unauthorised seed production, sale of Specific Pathogen Free seed or culture of Specific Pathogen Free *P. monodon* is noticed, the Inspection Team should destroy such stock through application of any methods/means deemed fit.

11. Bank Guarantee

The approved hatcheries will deposit a bank guarantee for Rs.5.00 lakhs (Rupees Five Lakhs) in favour of the Coastal Aquaculture Authority to ensure compliance of these Guidelines by them and in the event of any violation, the Bank Guarantee shall be invoked.

E. NORMS AND REGULATIONS FOR APPROVAL AND OPERATION OF FARMS

1. Eligibility criteria for farms to culture Specific Pathogen Free *P. monodon*

(1) Aquaculture farmers who are registered with Coastal Aquaculture Authority will be required to submit a separate application for permission for farming Specific Pathogen Free *P. monodon*.

(2) Inspection team authorised by Coastal Aquaculture Authority for Specific Pathogen Free *L. vannamei* culture shall inspect the farm intending to culture Specific Pathogen Free *P. monodon* and based on its recommendation regarding the suitability of the facility for farming of Specific Pathogen Free *P. monodon*, applications shall be processed by the Member Secretary and put up for approval of the Coastal Aquaculture Authority for issuing permission to farms for farming of Specific Pathogen Free *P. monodon*.

(3) Farms culturing Specific Pathogen Free *P. monodon* must establish adequate bio-security measures including fencing, reservoirs, bird-scare, separate implements for each of the ponds. The farms should be managed by the personnel who are trained or experienced in management of biosecurity measures.

(4) Farms irrespective of their size should have an Effluent Treatment System (ETS). Since loading of the environment with suspended s olids is very high during the harvest, the effluent treatment system should be able to handle the waste water let off during harvest. Harvesting should be sequential depending on the size of the effluent treatment system. The quality of the waste water should conform to the Standards prescribed under the Guidelines issued by Coastal Aquaculture Authority.

2. Water discharge protocols

(1) In case of any outbreak of disease, distress harvesting is permitted through netting only and the water should be chlorinated and dechlorinated before release into drainage system.

(2) Waste water should be retained in the effluent treatment system for a minimum period of two days.

(3) Farms which follow Zero Water Exchange system of farming will be encouraged to take up Specific Pathogen Free *P. monodon* farming.

3. Biosecurity considerations

Farms approved for Specific Pathogen Free *P. monodon* culture would not be permitted for farming of any other non-SPF crustacean species simultaneously in the same pond or farm.

4. Norms for culture of Specific Pathogen Free *P. monodon*

(1) Tested and certified seed should be procured only from hatcheries authorised to breed Specific Pathogen Free *P. monodon* brood stock and sell the seed.

(2) Stocking densities should not exceed 30 no./m^2.

3508 GI/12-5

(3) Strict compliance for the waste water standards is a mandatory requirement and inspection team authorised by Coastal Aquaculture Authority in each case shall monitor the quality of waste water as per the procedures laid down in the Regulations under Coastal Aquaculture Authority Act, 2005.

5. Record maintenance at farms

(1) The farmers should maintain a detailed record of the name and address of the hatchery from where they procured the seed, quantity procured, number and date of the valid registration of the hatchery, etc.

(2) The farmers should record the quantity of shrimp produced, sold, and the name and address of the processor to whom sold and this should be reported to the Coastal Aquaculture Authority through quarterly compliance reports as per the proforma given in form VII .

Form VI

[see guidelines {Annexure III, Para D 8(2)}]

Format for Quarterly Compliance Report from Hatcheries

The report should contain the following information:

1. Name and Address
2. Date and number of certificate of registration and permission to import.
3. Number of brood stock imported, males and females
4. Transport mortality
5. Quarantine mortality.
6. Total number of spawning.
7. Total number of eggs produced
8. Total number of nauplii produced
9. Total number of post larvae produced
10. Report on general aquatic health monitoring and any unusual mortality
11. Total number of post larvae sold to the farmers
12. Details of the farmers to whom seed sold (should include information on the name, address, Registration Number and copy of the permission letter for culturing Specific Pathogen Free *P. monodon* issued by Coastal Aquaculture Authority)

Place: Signature

Date : Name of the Authorised Signatory

Form VII

[see guidelines {Annexure III, Para E 5(2)}]

Quarterly Compliance Report from Farms

The report should contain the following information:

1. Name and Address
2. Date and number of Certificate of Registration issued by Coastal Aquaculture Authority
3. Date and number of permission letter from Coastal Aquaculture Authority tor culturing Specific Pathogen Free (SPF) *P. monodon*
4. Number of post larvae purchased
5. Name and address of the hatchery
6. Number and date of the certificate of registration of the hatchery
7. Letter from the hatchery indicating the number of post larvae sold to the farmer
8. Total number stocked
9. Total weight harvested
10. Average size at larval stage
11. Days of culture
12. Details of sequential harvesting (depending on the size of the effluent treatment system) carried out
13. Dates on which Inspection Committee visited and collected samples

Place:
Date :

Signature
Name of the Authorised Signatory.".

[F. No. 35029/4/2012-Fy (Trade)]

TARUN SHRIDHAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.